

**न्यायालय- विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली।**

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-300/2021

सरकार

प्रति

सुरेश चौहान आदि

मुकदमा अपराध सं061/2021

धारा: 323,504,506 भा.दं.स

व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी

थाना मुगलसराय, जिला- चन्दौली।

### आ रो प

मैं, अम्बर रावत, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली आप अभियुक्तगण

1. सुरेश चौहान
2. सुनील कुमार चौहान
3. पवन उर्फ आनन्द कुमार

को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ :-

**प्रथम-** यह कि दिनांक 04.02.2021 को समय रात 10 बजे स्थान स्थान वादिनी मुकदमा के किरायेदारी वाले रहायसी, थाना मुगलसराय, जिला चन्दौली में आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा को मारकर साधारण चोट पहुँचायी इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**द्वितीय-** यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को भद्दी-2 गालियाँ देकर लोक शांति भंग किया, इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**तृतीय-** यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी व अन्य को जान से मारने की धमकी दिया, इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 506 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**चतुर्थ-** यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा यह जानते हुए कि वादिनी मुकदमा को अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर अनुसूचित जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर अभिन्नस्त किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**पंचम-** यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादिनी मुकदमा जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर अनुसूचित जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर जाति सूचक गाली गलौच किया। इस प्रकार आप

अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आप लोगों को निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-01.12.2021ई0

(अम्बर रावत)

विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट  
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया।  
अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की माँग किया।

दिनांक-01.12.2021ई0

(अम्बर रावत)

विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट  
चन्दौली।